उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या- 35/2018/420/92-2-18-151जांच/2015
लखनऊ:: दिनांक:: 16 फरवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनानतर्गत फेज-10 के पैकेज संख्या-13141 की निविदा को कूटरचित एवं फर्जी दस्तावेज के आधार पर रिस्पॉसिव किये जाने आदि अनियमितताओं में प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री एम0के0 श्रीवास्तव, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-फैजाबाद सम्प्रति परिमण्डल-देवीपाटन मण्डल गोण्डा के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-06/2016/199/92-2-16-151जांच/15 दिनांक 29-01-2016 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासिनक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु मुख्य अभियंता, (पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। कालान्तर में सम्यक विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-82/16/2063/92-2-16-151जांच/2015 दिनांक 22-12-2016 द्वारा श्री श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्व कर दिया गया।

2- मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 08-12-2016 द्वारा प्रश्नगत अनुशासनिक जांच में जांच अधिकारी परिवर्तित किये जाने के संबंध में दिये गये निर्देश के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-15/2017/40/92-2-17-154जांच/15 दि0 09-01-2017 द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुये मुख्य अभियंता, (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के स्थान पर श्री आर0सी0 बर्नवाल, प्रमुख अभियंता, (ग्रामीण मार्ग) लोक निर्माण विभाग को जांच अधिकारी नामित कर दिया गया। इसी मध्य अपचारी अधिकारी, श्री एम0के0 श्रीवास्तव, तत्का0 अधीक्षण अभियंता अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करके दिनांक 31-09-2017 को सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29-01-2016 द्वारा अपचारी अधिकारी, श्री एम0के0 श्रीवास्तव के विरूद्व उक्त नियमावली के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के नियम-351ए में परिवर्तित किये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-35/2018/420(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री एम0के0 श्रीवास्तव, (सम्प्रति सेवानिवृत्त) अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।